# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 01 / 2018 / बाड़मेर

| अपीलांट | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| राणाराम पुत्र मोटाराम<br>जाति जाट निवासी ढेलाणी<br>नाडी तहसील गुड़ामालानी। | बनाम 1.खेताराम पुत्र चैनाराम<br>2.मूलाराम पुत्र चैनाराम<br>3.मूमल पत्नी चैनाराम<br>4.थानाराम पुत्र खेताराम जाति<br>जाट निवासी गोदारो की बेरी<br>तहसील सिणधरी<br>5.तहसीलदार गुड़ामालानी। |

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 02 / 2018 / बाड़मेर

| अपीलांट | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| राणाराम पुत्र मोटाराम<br>जाति जाट निवासी ढेलाणी<br>नाडी तहसील गुड़ामालानी। | बनाम 1.खेताराम पुत्र चैनाराम<br>2.मूलाराम पुत्र चैनाराम<br>3.मूमो पत्नी चैनाराम<br>4.थानाराम पुत्र खेताराम जाति<br>जाट निवासी गोदारो की बेरी<br>तहसील सिणधरी<br>5.तहसीलदार गुड़ामालानी। |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 226 / 2013 बअनवान खेताराम बनाम राणाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2016 व 26.09.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 व 04 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः– 22.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 04 के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा ढेलाणी नाडी पटवार सर्किल खुडाला तहसील गुड़ामालानी में उतरदाता संख्या 01 से 04 एवं अपीलांट के पूर्वज के समय से संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

संख्या 643 रकबा 31.02 बीघा आया हुआ है। जिसमें वादी संख्या 01 से 03 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा व अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा है। वादी/रेस्पोडेंटगण का संयुक्त 2/3 हिस्सा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन बंटवारा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 13.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट को सूचना नही दी गई तथा न ही अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपति करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पेश आलोच्य विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के खिलाफ काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 13.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव मौका निरक्षण कर तहसीलदार स्वयं को बनाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये लेकिन तहसीलदार ने अपने अधिकार अपने अधीनस्थ कर्मचारी को हस्तांतरित कर दिया। जो विधि अनुसार नहीं कर सकते। इस संबंध में माननी राजस्व मण्डल का यह न्याय दृष्टांत 2007 आर आर डी पेज 373 जो इस पर लागू होता है :– "He id not competent to further delegate his authority or power to any subordinate official" विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट को सूचना नही दी गई तथा न ही अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपति करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पेश आलोच्य विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई जो प्राकृतिक न्याय

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि की मंशा के विपरित है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन अपीलांट स्वयं से विधिवत तामील है। तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जो नियमानुसार सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री जारी की गई। उतरदातागण के द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने हेतु अजनबी व्यक्तियो को मौका दिखाया गया। जिस पर अपीलांट के द्वारा विरोध किया गया। जिस पर अपीलाधीन विभाजन करवा दिया है इस बाबत अपीलांट को रेस्पोडेंट ने अवगत करवाया तथा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि उतरदातागण द्वारा अपने नाम दर्ज करवा दी गई है। तब सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील करीब 01 वर्ष 03 माह बाद पेश की गई है। इतनी सुदीर्घ अवधि का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी का प्रत्येक दिन का विवरण देना होता है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट द्वारा निचली अदालत में अपना वकील नियुक्त किया परन्तु उसकी तरफ से कोई जबाव नहीं दिया गया लिहाजा अपीलाधीन निर्णय एकतरफा नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौका फर्द दिनांक 29.08.2016 एवं इसके संलग्न नक्शा से बनाया गया विभाजन प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि वादग्रस्त भूमि मे वादी संख्या 01 से 03 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा मुजब वंशवृक्ष व रिकॉर्ड निश्चित है जिससे प्रत्येक पक्ष का पक्षकारों और मौतबिरानों की उपस्थिति में बाद मौका निरीक्षण विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। अपीलांट की ढाणी वादग्रस्त खेत के **बीचों–बीच स्थित होने से उसका मध्य भाग 1/3 उसके हिस्से में दिया गया। इससे बेहतर जोत विभाजन नहीं हो सकता। केवल अपीलांट अकेले की संतुष्टि नहीं होना अन्य सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त अनुसार हुए स्वीकार्य जोत विभाजन पर कोई मायने नहीं रखता।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से इसमें कोई फेरबदल की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट तथ्यों से परे सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 226/2013 बअनवान खेताराम बनाम राणाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05.2016 व 26.09.2016 को यथावत रखा जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner